

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (डी-293) अलेसे-1/800

दिनांक:- 17/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री दीपक अग्रवाल (लिंग नं. 4572), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, जिनकी जन्म तिथि 20.06.1967 है, का दिनांक 01.01.2020 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 01.01.2020 को राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री दीपक अग्रवाल के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (डी-293) अलेसे-1/800

दिनांक:- 17/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्वर्गीय श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
3. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 20109 दिनांक 27.01.2020 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि यदि स्वर्गीय श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
5. श्रीमती मधु अग्रवाल, 86, गांधी मार्केट, बोरडी के कुएं का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्वर्गीय श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)